राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक: एफ.वी. 13(05)यो./रा.कृ.वि.यो./आउटडोरशेड/10–11/1487 दिनांक 18/02/13

निदेशक
पशुपालन विभाग
रा., जयपुर।

विषयः– पशुपालन विभाग में विभिन्न योजनाओं में रू. 5.00 लाख तक के निर्माण कार्यों को विभागीय स्तर पर कराने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।

इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक 6414 दिनांक 8.12.2011 के द्वारा निर्माण कार्य पंचायत समिति/नगरपालिका के माध्यम से करवाये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 151101145 दिनांक 25.11.2011 के अनुसरण में जारी की गई थी। इस स्वीकृति को अतिक्रमण करते हुए विभाग में ग्रामीण/नगरपालिका क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय/औषधालय/उपकेन्द्रों एवं अन्य संस्थाओं में रू. 5.00 लाख तक के निर्माण/मरम्मत/अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य निम्न समिति के माध्यम से कराये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

1. संस्था से सम्बन्धित विभागीय आहरण एवं वितरण अधिकारी (पशुपालन विभाग)– अध्यक्ष
2. सम्बन्धित संस्था प्रभारी/नोडल अधिकारी (पशुपालन विभाग)– सदस्य सचिव
3. सम्बन्धित पंचायत समिति का प्रतिनिधि (कनिष्ठ अभियन्ता)– सदस्य
4. सम्बन्धित नगरपालिका के प्रतिनिधि (कनिष्ठ अभियन्ता) नगर पालिका क्षेत्र हेतु– सदस्य

उक्त समिति कार्य सम्पादन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधनों के अन्तर्गत करायेंगे। यह स्वीकृति वित्त (जी एण्ड टी) विभाग की आई.डी. सं. 151300133 दिनांक 12.2.13 के अनुसरण में जारी की जाती है।

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: एफ.वी. 13(05)यो./रा.कृ.वि.यो./आउटडोरशेड/10–11/1488–95 दिनांक: 18/02/13

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त, मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय पशुपालन, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली ।

(80)

राजस्थान सरकार

निदेशालय पशुपालन, जयपुर

क्रमांक: एफ.वी. 13(05)यो./रा.कृ.वि.यो./आउटडोरशेड/10–11/1496–1594 दिनांक: 18/2/13

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग राजस्थान।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
4. समस्त उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
5. समस्त प्रभारी अनुभाग, निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर।

निदेशक

D:/sunil(2)/Letter